F. No. K-11011/30/2023-CB-Part (1)

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

*****

31 जुलाई, 2024 को आयोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की 7वीं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

1. वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की 7वीं बैठक 31 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में सचिव पंचायती राज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-क** में दी गई है।

2. पंचायती राज सचिव/ सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, संयुक्त सचिव (सीबी), पंचायती राज मंत्रालय/सदस्य सचिव ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के एजेंडे पर चर्चा शुरू की।

3. राज्य का कार्यवृत्त:

3.1 सीईसी ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड की वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार किया। पंचायतों को मजबूत करने और योजना के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए सामान्य टिप्पणियां, जैसा कि सचिव, एमओपीआर/सीईसी के अध्यक्ष द्वारा दूसरी सीईसी बैठक में उल्लेख किया गया था, एमओपीआर के संयुक्त सचिव (सीबी) द्वारा दोहराई गई, जो इस प्रकार हैं:

i. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा की गई अभिनव पहलों को अपनाने की सलाह दी गई।
ii. कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करते समय राज्यों को कार्यात्मक साक्षरता को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए।
iii. महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण करते हुए, राज्य पीआरआई के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर अन्य विभागों की उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करेंगे।
iv. पीआरआई के प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के नियमित मूल्यांकन के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।
v. राज्यों को "सरपंचपति" की संस्कृति की जाँच करने के लिए अपने वार्षिक कार्य योजना में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण जैसे खरीद मानदंड, बजट और लेखा, कानूनी प्रावधानों पर प्रशिक्षण आदि शामिल करना चाहिए।

vi. पीआरआई प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय/प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और संकाय विकास के मूल्यांकन के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा अपनाई गई प्रथा को अन्य राज्यों में भी उपयुक्त रूप से लागू करने के लिए खोजा जा सकता है।

vii. वर्तमान में प्रशिक्षण का फोकस ग्राम पंचायतों के ईआर पर है। ब्लॉक और जिला पंचायतों के ईआर और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तदनुसार, ब्लॉक और जिला पंचायतों के ईआर और पदाधिकारियों के पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

viii. राज्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रशिक्षकों की प्रतिक्रिया और ग्रेडिंग के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करेगा।

ix. राज्य जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) और ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (बीपीआरसी) की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। 2024-25 के दौरान 100% डीपीआरसी और कम से कम 50% बीपीआरसी को कार्यात्मक बनाया जाएगा। राज्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान धनराशि का समय पर जारी होना सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध धनराशि के समय पर उपयोग के लिए रणनीति तैयार करनी होगी।

x. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कर्नाटक परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉडल को अपनाने के लिए जांच करने की सलाह दी गई है।

xi. सीईसी ने राज्यों को प्रशिक्षण प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए अन्य राज्य विभागों के साथ समन्वय करने की सलाह दी।

xii. प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन सत्र से शुरू होने चाहिए और समापन सत्र के साथ होना चाहिए। स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए।

xiii. राज्य ओएसआर और पंचायत वित्त पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। PESA पंचायतों वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश PESA से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

xiv. यह देखा गया कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर या बाहर एक्सपोजर दौरे RGSA का बहुत महत्वपूर्ण घटक है और एक्सपोजर दौरों के लिए प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया और इन दौरों की योजना एक संरचित तरीके से बनाई जानी चाहिए। दौरे के दौरान अच्छी प्रथाओं का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, क्षेत्र का दौरा किया जाना चाहिए और सीखे गए सबक पर प्रतिभागियों से फीडबैक लिया जाना चाहिए और साथ ही अपनी पंचायतों में इसे दोहराने की संभावनाओं और रणनीति के बारे में भी बताया जाना चाहिए। योजना में प्रावधान के अनुसार ऐसे दौरों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया। अध्यक्ष ने पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के भीतर और बाहर एक्सपोजर विजिट के सुचारू संचालन के लिए एक्सपोजर विजिट पर एसओपी तैयार करने और अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से एक्सपोजर विजिट की मेजबानी के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ परामर्श करने का भी निर्देश दिया।

xv. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाने पर काम करना चाहिए।

xvi. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आर्थिक विकास और आय वृद्धि परियोजनाओं के मामले में ग्राम पंचायतों के साथ राजस्व साझा करने में मुद्दों को हल करना चाहिए।

3.2 आंध्र प्रदेश : वार्षिक कार्य योजना 2024-25

3.2.1 सचिव, एमओपीआर/सीईसी के अध्यक्ष ने सीबी एंड टी गतिविधियों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। राज्य ने 2023-24 के दौरान 13,50,480 प्रतिभागियों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1,65,001 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। इसके अलावा, यह देखा गया कि 29.07.2024 तक राज्य के पास 40.79 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं की गई थी।

3.2.2. समिति ने ग्राम पंचायतों में एक मजबूत स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) प्रणाली विकसित करने के लिए राज्य की प्रशंसा की, जिससे उन्हें मत्स्य पालन टैंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मवेशी आश्रय, वर्मी कम्पोस्टिंग पिट आदि विकसित/ तैयार करने जैसी नवीन गतिविधियों पर विशेष ध्यान देकर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने में सक्षम बनाया जा सके।

3.2.3. आंध्र प्रदेश राज्य ने पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 273.80 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 215.80 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

(i) **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबी एंड टी):** समिति ने पाया कि वर्ष **2023-24** के दौरान अधिकांश प्रशिक्षण पंचायत विकास योजना (पीडीपी) की श्रेणी के अंतर्गत आयोजित किए गए थे**,** इसलिए**,** इस घटक के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण को **1,37,629** से घटाकर **68,814** कर दिया गया**,** जिसके बाद राज्य द्वारा प्रस्तावित राशि **18.46** करोड़ रुपये से घटाकर **9.23** करोड़ कर दी गई।

(ii) पंचायत अवसंरचना: राज्य ने पेसा और आकांक्षी जिलों में **200** नए पंचायत भवन के निर्माण का प्रस्ताव रखा। समिति द्वारा **40.00** करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा**,** सीईसी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सांसद आदर्श ग्राम योजना की सूची में शामिल **18** ग्राम पंचायतों में सीएससी सह-स्थापन के साथ-साथ पंचायत भवनों के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है**,** जिनमें अनुसूचित जातियों की महत्वपूर्ण आबादी है और ई-ग्राम स्वराज पर पंचायत भवन की अनुपलब्धता की सूचना दी गई है**,** जो राज्य द्वारा इस बात के सत्यापन के अधीन है कि ग्राम पंचायतों के पास अपना कार्यालय भवन नहीं है (सूची **अनुलग्नक-बी** में संलग्न है)।

(iii) **ई-सक्षमीकरण (अतिरिक्त गतिविधियाँ):** राज्य ने **500** कंप्यूटर और सहायक उपकरण खरीदने**,** राज्य स्तर पर एक स्टूडियो स्थापित करने और जिला शिक्षण सुविधा (प्रौद्योगिकी के वैकल्पिक मोड के रूप में) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। समिति ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और इस टिप्पणी के साथ इसे

मंजूरी दी कि राज्य इसे चालू वित्त वर्ष **2024-25** के भीतर पूरा करेगा।

आंध्र प्रदेश राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुलग्नक-I पर है।

3.3 हिमाचल प्रदेश : वार्षिक कार्य योजना 2024-25

3.3.1 हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि ने पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य द्वारा तैयार/ विकसित संस्थागत बुनियादी ढांचे (जैसे कि निर्मित एस.पी.आर.सी., डी.पी.आर.सी. तथा कम्प्यूटर लैब, पंचायत लर्निंग सेंटर) पर विस्तृत प्रस्तुति दी। राज्य ने पंचायती राज विभाग द्वारा अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर 1.00 करोड़ की लागत से निर्मित मॉडल पंचायत भवन का भी प्रदर्शन किया। आर.जी.एस.ए. से 20 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है।

3.3.2. हिमाचल प्रदेश ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 101.284 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इस पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 100.42 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी: -

(i) आर्थिक विकास और आय वृद्धि: समिति ने इकोटूरिज्म परियोजना की प्रगति की सराहना की और सलाह दी कि इस विशेष परियोजना के माध्यम से नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को सृजित राजस्व का हिस्सा मिलना चाहिए और यदि इको-टूरिज्म नीति को संशोधित करने की आवश्यकता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। मंत्रालय इस मामले में राज्य सरकार को औपचारिक रूप से पत्र भी लिखेगा।

(ii) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: समिति ने डीपीआरसी में उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की सराहना की। राज्य ने सीबीएंडटी घटक के तहत **78,775** प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा। हालांकि**,** समिति ने पाया कि राज्य ने वित्त वर्ष **2023-24** में अच्छा प्रदर्शन किया है और लगभग **92** हजार प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। इसलिए समिति ने प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। राज्य इस संबंध में एक अनुपूरक प्रस्ताव भेज सकता है। इसने राज्य द्वारा प्रस्तावित कुल प्रशिक्षण को मंजूरी दे दी।

(iii) समिति ने हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत भवनों की उपलब्धता की समीक्षा की और पाया कि 5 पंचायतें ऐसी श्रेणी में हैं, जहाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के एसएजीवाई रिकॉर्ड के अनुसार पंचायत भवन उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, समिति ने 5 पंचायत भवनों के निर्माण और पंचायत भवनों में 5 सीएससी के सह-स्थापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, बशर्ते कि राज्य यह सत्यापित करे कि ग्राम पंचायतों के पास अपने भवन नहीं हैं (सूची **अनुलग्नक-बी** में संलग्न है)।

(iv) ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ (बीपीएमयू): राज्य ने 81 बीपीएमयू के लिए 5.91 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत के साथ जनशक्ति सहायता का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि, 81 बीपीएमयू को मंजूरी देते समय सीईसी ने आरजीएसए मानदंडों के अनुसार स्वीकृत राशि को 4.80 लाख रुपये/बीपीएमयू की दर

से 3.88 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया।

(v) सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा: राज्य ने 1584 ग्राम पंचायतों के लिए 23.76 करोड़ रुपये की लागत वाली वीसी सुविधा का प्रस्ताव रखा। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी।

(vi) ऑनलाइन नागरिक सेवाएँ: राज्य पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की एक सूची प्रदान करेगा। राज्य को ऐसी सेवाओं की संख्या बढ़ाने की सलाह दी गई। आगे की राशि इसके प्रदर्शन पर सशर्त होगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुलग्नक-II** पर है।

3.4. हरियाणा: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

3.4.1. महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा ने राज्य में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए वार्षिक कार्य योजना तथा उपलब्ध संस्थागत अवसंरचना की विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके अलावा, राज्य प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य में आंदोलन/हड़ताल के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण नहीं लिया जा सका तथा 2022-23 और 2023-24 के दौरान धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.4.2. समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकों को पंचायतों द्वारा प्रदान की जा रही आवश्यक सेवाओं के बारे में चर्चा की। राज्य द्वारा बताया गया कि मृत्यु/जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आदि जैसी सेवाएं वर्तमान में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि राज्य को जमीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाने तथा सेवा वितरण मोड को ऑनलाइन में बदलने का प्रयास करना चाहिए। सीईसी ने वार्षिक कार्य योजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की, इस शर्त के साथ कि राज्य को पंचायतों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं के प्रावधान को सुगम बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए तथा जहां भी आवश्यक हो, इस संबंध में सरकारी आदेश जारी करना चाहिए।

3.4.3. हरियाणा राज्य ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 44.758 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 37.023 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी: -

(i) राज्य ने अपनी सभी 6225 ग्राम पंचायतों के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा के लिए 330 ग्राम पंचायतों (प्रति जिला 15 ग्राम पंचायत) के लिए सहायता प्रदान करने को सीईसी द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन राज्य द्वारा इस संबंध में कोई प्रगति नहीं बताई गई है, सीईसी

ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केवल 330 ग्राम पंचायतों के लिए सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी है।

(ii) राज्य ने 36 स्थानों पर 4 लाख रुपये/एसआईटी की लागत से 36 सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एसआईटी) प्रस्तावित किए हैं। समिति ने 0.54 करोड़ रुपये (यानी 1.50 लाख/एसआईटी) की लागत से 36 एसआईटी के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दी।

(iii) समिति ने राज्य को संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डीपीआरसी के निर्माण हेतु एक अलग प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया।

(iv) समिति ने हरियाणा राज्य में ग्राम पंचायत भवनों की उपलब्धता की समीक्षा की और पाया कि 9 पंचायतें ऐसी श्रेणी में हैं, जहाँ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एसएजीवाई रिकॉर्ड के अनुसार पंचायत भवन उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, समिति ने 9 पंचायत भवनों के निर्माण और पंचायत भवनों में 9 सीएससी की सह-स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, बशर्ते कि राज्य द्वारा यह सत्यापित किया जाए कि ग्राम पंचायतों के पास अपने स्वयं के कार्यालय भवन नहीं हैं (सूची अनुलग्नक-बी में संलग्न है)। हरियाणा राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुलग्नक-III** में है।

3.5 लद्दाख**:** वार्षिक कार्य योजना **2024-25**

3.5.1 सचिव (यूटी के पंचायती राज विभाग) ने अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के विभिन्न घटकों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। यूटी ने सूचित किया है कि 2023-24 के दौरान 13,464 प्रतिभागियों के लक्ष्य के मुकाबले 1070 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। हालांकि, यह देखा गया कि प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर इसे दर्शाया नहीं जा रहा है। समिति ने 2023-24 के दौरान सीबीएंडटी गतिविधियों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की।

3.5.2 यूटी लद्दाख ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 19.36 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 16.09 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

(i) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी): समिति ने पाया कि नवंबर **2023** से यूटी में पीआरआई के चुनाव लंबित हैं। इसलिए**, 13,966** प्रतिभागियों के लिए प्रस्ताव को घटाकर **6,983** कर दिया गया है**,** जिसके बाद राशि **9.87** करोड़ से घटाकर **4.93** करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा**,** यूटी को पीआरआई के चुनाव की तारीखों को अंतिम रूप देने के बाद अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह

दी गई।

(ii) संस्थागत अवसंरचना: केंद्र शासित प्रदेश ने क्रमशः लेह और कारगिल में दो (**2**) डीपीआरसी के निर्माण का प्रस्ताव रखा। हालांकि, समिति ने शुरुआत में कारगिल में एक डीपीआरसी के निर्माण को मंजूरी दी और प्रगति के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में अन्य पर विचार किया जाएगा।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुबंध-IV** पर है।

3.6 मध्य प्रदेश: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

3.6.1. मध्य प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि ने उपलब्धियों, प्रशिक्षण अवसंरचना और मुद्रित रूप में उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री तथा राज्य में विकसित/तैयार शिक्षण वीडियो के साथ-साथ आरजीएसए के अन्य घटकों की प्रगति और एएपी 2024-25 के प्रस्ताव के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी।

3.6.2. मध्य प्रदेश ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 710.34 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इस पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 263.76 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:-

(i) **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**:- राज्य ने बताया कि राज्य में पेसा नियमों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसके अलावा, पेसा प्रशिक्षणों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए एसआईआरडी और जन अभियान परिषद के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य ने भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की पहल के तहत पेसा प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री भी तैयार/ विकसित की है। अध्यक्ष ने तैयार की गई सामग्री और राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। अध्यक्ष ने राज्य को यह भी सलाह दी कि एसआईआरडी और पीआर पेसा ग्राम पंचायतों में पंचायती राज के विभिन्न क्षेत्रों में शोध अध्ययन कर सकते हैं।

(ii) आत्मनिर्भर पंचायत समृद्धि:- राज्य ने बताया कि राज्य में निर्वाचन अधिकारियों और पदाधिकारियों की तीन दिवसीय आत्मनिर्भर पंचायत समृद्धि आयोजित की गई, जिसमें **15**वें वित्त आयोग की उपयोगिता, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत, सुशासन, पीईएसए के कार्यान्वयन आदि पर कार्य समूह चर्चाएं आयोजित की गईं। समिति ने अनुरोध किया कि कार्य समूह के दस्तावेजों को राज्य स्तर पर सीखने के लिए साझा किया जाए।

(iii) **आर्थिक विकास और आय वृद्धि:** अध्यक्ष ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा शुरू की

गई होम स्टे परियोजना की सराहना की। समिति ने पाया कि पिछले वर्षों के दौरान आरजीएसए के नवोन्मेषी और आर्थिक विकास घटक के तहत राज्य को कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। हालांकि, 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना में, राज्य द्वारा कोई भी आगे की परियोजनाएं प्रस्तावित नहीं की गई हैं। इसलिए, योजना के तहत अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण प्रदान करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा, यह सलाह दी गई कि वित्त वर्ष 2022-23 तक स्वीकृत सभी परियोजनाएं, जो अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, उन्हें राज्य द्वारा छोड़ दिया जाना चाहिए।

(iv) **संस्थागत बुनियादी ढांचा:** समिति ने पाया कि पहले से स्वीकृत डी.पी.आर.सी. के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है। राज्य सरकार को निर्माण में तेजी लाने और प्रगति रिपोर्ट देने की सलाह दी गई।

(v) पंचायत भवन का निर्माण: राज्य ने दुर्गम क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में **289** पंचायत भवन के निर्माण का प्रस्ताव रखा। समिति ने घटक पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। इसके अलावा**,** सीईसी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सांसद आदर्श ग्राम योजना की सूची में शामिल **58** ग्राम पंचायतों में सीएससी सह-स्थान के साथ पंचायत भवनों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी**,** जिनमें अनुसूचित जातियों की महत्वपूर्ण आबादी है और ई-ग्राम स्वराज पर पंचायत भवन की अनुपलब्धता की सूचना दी गई है**,** बशर्ते राज्य यह सत्यापित करे कि ग्राम पंचायतों के पास अपना भवन नहीं है (सूची अनुलग्नक-बी में संलग्न है)।

मध्य प्रदेश राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुलग्नक-V** पर है।

3.7 मणिपुर : वार्षिक कार्य योजना 2024-25

3.7.1 मणिपुर सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि ने राज्य द्वारा विकसित उपलब्धियों, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सामग्री के साथ-साथ आरजीएसए के अन्य घटकों की प्रगति और एएपी 2024-25 के प्रस्ताव के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी।

3.7.2 मणिपुर ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 68.64 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 30.265 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी: -

(i) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी): - समिति ने पाया कि पंचायत चुनाव अक्टूबर **2022** से लंबित हैं। इसके अतिरिक्त**,** राज्य ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार नहीं कर रहा है। नतीजतन**,** चुनाव होने तक क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) के प्रस्ताव को रोक दिया गया। राज्य ने बताया कि चुनाव अक्टूबर **2024** में होने की उम्मीद है। इसलिए**,** समिति ने नवंबर **2024** में

सीबी एंड टी प्रस्ताव की फिर से समीक्षा करने का फैसला किया।

(ii) जीपीडीपी/नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के लिए सहायता: समिति ने यह भी निर्णय लिया कि जीपीडीपी**,** एमडीपी और किसी भी अन्य प्रशिक्षण के लिए सहायता पर राज्य में पंचायत चुनावों के बाद नवंबर**, 2024** के महीने में सीबी एंड टी प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान विचार किया जाएगा।

(iii) पंचायतों का ई-सक्षमीकरण: राज्य ने **81** पुराने कंप्यूटरों को बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समिति ने इस पर विचार किया और **0.405** करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी।

(iv) पंचायत भवनों का निर्माण: समिति ने **11** जीपी भवनों को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। हालांकि**,** यह देखा गया कि इसके लिए कार्य आदेश आज तक जारी नहीं किए गए थे। यह निर्णय लिया गया कि पिछले **11** जीपी भवनों के लिए कार्य आदेश जारी होने के बाद नए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

मणिपुर राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुलग्नक-VI पर है।

3.8 उत्तराखण्ड **:** वार्षिक कार्य योजना **2024-25**

3.8.1 सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड सरकार ने पीआरआई और अन्य हितधारकों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के विभिन्न घटकों और राज्य में पंचायत भवनों के निर्माण, सीएससी के सह-स्थापन और पीएलसी के विकास सहित वित्त वर्ष 2023-24 की अन्य उपलब्धियों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। बताया गया कि राज्य में जीपी के माध्यम से 12 ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

3.8.2. उत्तराखंड ने पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 213.62 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 190.40 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

(i) **सीबीएंडटी के तहत विशेष प्रशिक्षण:** राज्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 9832 प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा। हालांकि, समिति ने पाया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, उक्त घटक के तहत अनुमोदित लक्ष्य के मुकाबले केवल 5% प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था। इसलिए, 9832 प्रतिभागियों के प्रस्ताव को घटाकर 4916 प्रतिभागियों तक कर दिया गया, साथ ही राशि में 2.38 करोड़ से 1.19 करोड़ की कटौती की गई।

(ii) **प्रशिक्षण का मूल्यांकन:** राज्य ने प्रशिक्षण के मूल्यांकन का प्रस्ताव रखा। इसे सीईसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि इस गतिविधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमोदित किया गया था और इसके लिए निधि का उपयोग किया गया है। संशोधित आरजीएसए मानदंडों के अनुसार, इस घटक के तहत सहायता केवल दो वर्षों में एक बार प्रदान की जा सकती है।

(iii) **पंचायत भवनों का निर्माण:** राज्य ने दुर्गम क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में **100** पंचायत भवनों के निर्माण

का प्रस्ताव रखा। समिति ने घटक पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। इसके अलावा, सीईसी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सांसद आदर्श ग्राम योजना की सूची में शामिल **12** ग्राम पंचायतों में सीएससी सह-स्थान के साथ पंचायत भवनों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी, जिनमें अनुसूचित जातियों की महत्वपूर्ण आबादी है और जिन्होंने ई-ग्राम स्वराज पर पंचायत भवन की अनुपलब्धता की सूचना दी है, बशर्ते राज्य यह सत्यापित करे कि ग्राम पंचायतों के पास अपना भवन नहीं है (सूची **अनुलग्नक-बी** में संलग्न है)।

(iv) राज्य ने **2022-23** में सीबीएंडटी के लिए राज्य द्वारा खर्च की गई **14.27** करोड़ रुपये की देयता राशि के भुगतान का अनुरोध किया, लेकिन इसे एमओपीआर को प्रस्तुत वर्ष के व्यय विवरण में शामिल नहीं किया गया। इस संबंध में, सीईसी को अवगत कराया गया कि मामले में एमओपीआर द्वारा मांगी गई जानकारी राज्य द्वारा अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है। राज्य सरकार ने **29** जुलाई **2024** के पत्र के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मांगी गई जानकारी देने में असमर्थता जताई है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया कि वे आदेश साझा करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(v) सचिव, पंचायत विभाग ने बताया कि ग्राम पंचायतों के लिए भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पंचायतों के चुनाव अक्टूबर, 2024 में होने की उम्मीद है। समिति ने पाया कि ओएसआर का संग्रह न्यूनतम है। राज्य से अनुरोध किया गया कि वे अपने ओएसआर नियमों को अंतिम रूप दें।

उत्तराखंड राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुलग्नक- VII** पर है।

3.9 अतिरिक्त एजेंडा: 2024-25 के दौरान 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए परियोजना को जारी रखने के संबंध में केंद्रीय एजेंडा

3.9.1. बताया गया कि 2020-21 और 2021-22 के लिए आरजीएसए के तहत एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत पूरे भारत में 1100 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसका वार्षिक वित्तीय भार एनआईआरडी और पीआर के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 15.54 करोड़ रुपये होगा। परियोजना का उद्देश्य एसडीजी-केंद्रित गुणवत्ता जीपीडीपी की तैयारी और समग्र और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए उनकी योजनाओं को सही भावना से लागू करने के लिए प्रशिक्षित युवा फैलो (वाईएफ) द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और हैंडहोल्डिंग समर्थन के माध्यम से जीपी क्लस्टर के 250 सफल मॉडल बनाना है। परियोजना के तहत यह भी परिकल्पना की गई थी कि वाईएफ अन्य ग्राम पंचायतों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायतों को संस्थागत रूप से मजबूत करने के लिए समर्थन प्रदान करेंगे। 3.9.2 इसके बाद, संशोधित आरजीएसए के तहत, उक्त परियोजना 2022-23 और 2023-24 के दौरान 15.54 करोड़ रुपये के वार्षिक वित्तीय भार के साथ जारी रही। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया कि 2022-23 के दौरान 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्षों के लिए परियोजना के विस्तार के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई थी, इस शर्त के साथ

कि परियोजना के तहत बाद के वर्षों के लिए बजटीय सहायता पर प्रगति, वास्तविक आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

3.9.2. सीईसी को यह भी बताया गया कि 22 मई, 2024 को आयोजित बैठक में सचिव, पंचायती राज के द्वारा परियोजना की समीक्षा की गई थी। समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार, एनआईआरडी और पीआर द्वारा यंग फेलो के लिए मापने योग्य केपीआई के साथ एक डैशबोर्ड तैयार किया गया था और 20.06.2024 को आयोजित बैठक में अपर सचिव, एमओपीआर को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, एनआईआरडी और पीआर से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, वर्ष 2024-25 के दौरान परियोजना को जारी रखने के लिए सचिव, एमओपीआर / सीईसी के अध्यक्ष महोदय द्वारा इस तथ्य के मद्देनजर मंजूरी दी गई थी कि परियोजना के तहत लगे लोगों को वेतन नहीं मिल रहा था। तदनुसार, पूर्वव्यापी अनुमोदन को जारी रखने का प्रस्ताव सीईसी के समक्ष रखा गया था।

3.9.3. सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और 2024-25 में परियोजना को जारी रखने के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया, जिसे एनआईआरडी एंड पीआर के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित घटकों के लिए 13.29 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत आएगी:

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	घटक	राशि
1.	सीबी और प्रशिक्षण, यंग फेलो को सलाह देने, उनकी गतिविधियों की निगरानी करने और राज्य एवं जिला स्तरीय संस्थाओं के साथ समन्वय के लिए 3-4 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 12 राज्य कार्यक्रम समन्वयकों (एसपीसी) की तैनाती। 12∗12∗55,000	0.79
2.	संस्थागत सुदृढ़ीकरण और एलएसडीजी-केंद्रित थीम-आधारित गुणवत्ता जीपीडीपी को सक्षम बनाने तथा ब्लॉक और जीपी स्तर के लाइन विभाग अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए जीपी को सहायता प्रदान करने के लिए प्रति क्लस्टर 1 की दर से 250 युवा फेलो (वाईएफ) की तैनाती। 250∗12∗35,000	10.50
3.	प्रबंधन एवं निगरानी	2.00
	कुल	**13.29**

3.9.4. सीईसी ने यह भी निर्देश दिया कि 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने की परियोजना प्रभावी निष्पादन और निगरानी के लिए पंचायती राज के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (एसओईपीआर) का हिस्सा होगी। पोर्टल आधारित केपीआई पर यंग फेलो के परिणामों की निगरानी की जाएगी। एनआईआरडी और पीआर यंग फेलो की मासिक विश्लेषणात्मक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और मंत्रालय को निगरानी डैशबोर्ड तक पहुंच प्रदान करेगा। निधियों की वास्तविक रिलीज प्रगति, वास्तविक आवश्यकताओं और निधियों की उपलब्धता पर आधारित होगी।

****

अनुबंध- I

राज्य आंध्र प्रदेश राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 बजट सारांश

(राशि करोड रूपए में)

क्र.सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि**
1	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रेरण प्रशिक्षण (43,847 प्रतिभागी)	22.14
ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (68,814 प्रतिभागी)	9.23
iii	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (43,638 प्रतिभागी)	16.28
iv	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (57,271 प्रतिभागी)	9.31
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (86537 प्रतिभागी)	10.53
	सीबीएंडटी का कुल योग	**67.49**
2	सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियां	
i	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना (1000)	10.00
ii	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (1000 प्रतिभागी)	0.70
iii	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (1200 प्रतिभागी)	3.00
iv	पंचायत शिक्षण केंद्र का विकास (09 पीएलसी)	0.63
v	एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (100 एमटी)	0.125
vi	नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम(200 प्रतिभागी)	1.00
v	टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री	0.50
	सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियों की कुल संख्या	**15.95**
3	संस्थागत बुनियादी ढांचा	
i	डीपीआरसी का निर्माण (4 नए)	8.00
ii	किराए के भवन में डीपीआरसी की स्थापना (13 डीपीआरसी)	0.78
iii	जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.74
iv	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना (330 बीपीआरसी)	11.88
	संस्थागत अवसरचना का कुल योग	**21.40**
4	संस्थागत अवसरंचना **(**आवर्ती लागत**)**	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1)	0.84
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत(23)	5.20
iii	बीपीआरसी आवर्ती लागत (330)	13.86
	आवर्ती लागत का कुल योग	**19.90**

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.26
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (26 डीपीएमयू)	2.81
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (660 बीपीएमयू)	31.68
	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की कुल संख्या	**34.75**
6	पंचायत भवनों के लिए समर्थन	
i	पेसा एवं आकांक्षी जिलों में पीबी का निर्माण (200 नये)	40.00
	पंचायत भवनों के लिए कुल सहायता	**40.00**
7	पेसा क्षेत्र के लिए विशेष सहायता	
i	राज्य समन्वयक (1)	0.07
ii	जिला समन्वयक (5)	0.18
iii	ब्लॉक समन्वयक (36)	1.08
iv	ग्राम सभा मोबिलाइजर/जीपी (620)	2.98
v	ग्राम सभा अभिमुखीकरण (124)	0.19
	पेसा क्षेत्र के लिए विशेष सहायता की कुल राशि	**4.50**
8	ई-सक्षमता	
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (500 कैरी ओवर)	2.50
	ई-सक्षमीकरण गतिविधियों की कुल संख्या	**2.50**
9	सैटकॉम / आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1)	1.00
ii	वैकल्पिक प्रौद्योगिकी मोड (1)	1.00
	दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं की कुल संख्या	**2.00**
	कुल योग **(1 to 9)**	**208.49**
10	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	4.17
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	3.13
	कुल योजना का आकार	**215.80**

अनुबंध- II

हिमाचल प्रदेश राज्य की बजट सारांश का वार्षिक कार्य योजना 2024-25

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
1.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	
i	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (35170 प्रतिभागी)	5.06
ii	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र सक्षमकर्ता प्रशिक्षण (30,979 प्रतिभागी)	3.26
iii	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (5,051 प्रतिभागी)	1.51
iv	कोई अन्य प्रशिक्षण (7575 प्रतिभागी)	1.20
	कुल (सीबी एवं टी)	**11.03**
2.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	
i	जीपीडीपी (88 ग्राम पंचायत) के लिए सहायता प्रदान करना	0.18
ii	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.10
iii	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
iv	प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
v	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (3287 प्रतिभागी)	2.678
vi	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (720 प्रतिभागी)	1.80
vii	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (10पीएलसी)	0.70
viii	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम (100 प्रतिभागी)	0.31
	सीबीएंडटी के तहत अन्य गतिविधियों का उप-योग	**6.068**
3.	संस्थागत अवसंरचना (निर्माण)	
i.	नए डीपीआरसी (2 डीपीआरसी) का निर्माण	**4.00**
	संस्थागत अवसंरचना का उप-योग	**4.00**
4.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (8 डीपीआरसी के लिए)	1.41
iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	0.05
iv	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	0.06
	(आवर्ती लागत) का उप-योग	**2.36**
5.	पंचायत भवन के लिए सहायता	
i	जीपी भवन (आगे ले जाना) 86 पीबी	17.20
ii	सीएससी का सह-स्थान 420 सीएससी	21.00
iii	जीपी भवन (5 नए)	1.00

iv	सीएससी का सह-स्थान (5 नए)	0.25
	कुल पीबी	**39.45**
6.	पेसा सपोर्ट	
i	सलाहकार पेसा (1)	0.072
ii	3 जिलों के लिए जिला पेसा समन्वयक	0.108
iii	7 ब्लॉकों के लिए ब्लॉक पेसा समन्वयक	0.21
iv	1 ग्राम सभा मोबिलाइज़र / पेसा जीपी का मानदेय	0.81
v	ग्राम सभा अभिमुखीकरण	0.05
	पेसा समर्थन का उप-योग	**1.252**
7.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.24
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (12डीपीएमयू)	0.99
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (81बीपीएमयू)	3.88
	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की कुल संख्या	**5.11**
8.	सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा।	
i	1584 ग्राम पंचायतों के लिए वी.सी. सुविधाएं	23.76
	सैटकॉम के माध्यम से पूर्ण दूरस्थ शिक्षा सुविधा	**23.76**
9.	आय विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना-आधारित समर्थन	
i	हरेटा, नादौन, हमीरपुर में इकोटूरिज्म (आगे बढ़ें)	**2.00**
ii	काम्याना हिलटॉप, मशोबरा, शिमला में इकोटूरिज्म (आगे बढ़ें)	**2.00**
	योग- आर्थिक विकास	**4.00**
	उप - योग **(1 to 9)**	**97.03**
10.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.94
11.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक	1.46
	कुल योजना आकार	**100.42**

अनुबंध- III

हरियाणा राज्य के वार्षिक कार्रवाई योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
1	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	
ii	पुनश्चर्या प्रशिक्षण (71653 प्रतिभागी)	12.01
iii	पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षण (7819 प्रतिभागी)	0.789
iv	विषयगत प्रशिक्षण-(12560 प्रतिभागी)	0.168
v	विशेष प्रशिक्षण (36950 प्रतिभागी)	2.240
	कुल सीबी एवं टी	**15.207**
2	सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियां	
i	जीपीडीपी के लिए सहायता (330 ग्राम पंचायतों के लिए)	0.66
iv	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (3 दिनों के लिए 6555 के लिए)	0.65
v	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट (500 के लिए 5 दिनों के लिए @ 5000)	1.25
vi	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (9 पीएलसी)	0.63
ix	नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 9350 @ 5 दिनों के लिए 100)	0.46
	सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियों की कुल संख्या	**3.650**
3	संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख/डीपीआरसी/वर्ष) 22डीपीआरसी के लिए	2.376
iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	0.021
v	71 बीपीआरसी के लिए बीपीआरसी आवर्ती लागत (50%)	2.982
vi	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	0.118
	संस्थागत अवसंरचना की कुल राशि (आवर्ती लागत)	**6.337**
4	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (22 डीपीएमयू के लिए)	2.376
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (143 ब्लॉक के लिए)	5.148
	कुल पीएमयू	**7.788**
5	पंचायत भवन के लिए सहायता	
i	निर्माण पंचायत भवन (9 नए)	1.80
ii	सह-स्थान सीएससी (9 सीएससी)	0.45
	पंचायत अवसंरचना की कुल संख्या	**2.25**

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
6	सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा।	
i	एसआईटी की स्थापना (**36**)	0.54
	उप-योग (क्रमांक **1** से **6**)	**35.772**
7	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	**0.715**
8	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**0.536**
	कुल योजना आकार	**37.023**

अनुबंध **-IV**

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की वार्षिक कार्य योजना **2024-25** का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि**
1	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रेरण प्रशिक्षण (830 प्रतिभागी)	0.39
ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (907 प्रतिभागी)	0.68
iii	विषयगत प्रशिक्षण (1329 प्रतिभागी)	1.10
iv	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (1778 प्रतिभागी)	1.40
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (1307 प्रतिभागी)	0.81
	कुल सीबी एवं टी	**4.38**
2	सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियां	
i	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना (193 जीपी)	0.38
ii	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (408 प्रतिभागी)	1.99
iii	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (04 पीएलसी)	0.28
iv	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (9 प्रतिभागी)	0.01
v	टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री	0.50
	सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियों की कुल संख्या	**3.16**
3	संस्थागत बुनियादी ढांचा	
i	डीपीआरसी का निर्माण (1 नया)	2.00
ii	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना (10 बीपीआरसी)	0.36
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**2.36**
4	संस्थागत अवसंरचना **(**आवर्ती लागत**)**	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1 एसपीआरसी)	0.84
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (2 डीपीआरसी)	0.38
iii	बीपीआरसी आवर्ती लागत (31 बीपीआरसी)	0.42
	आवर्ती लागत का कुल योग	**1.64**
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.26
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (2 डीपीएमयू)	0.21
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (31 बीपीएमयू)	1.48
	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की कुल संख्या	**1.95**
6	पंचायत भवनों के लिए सहायता	
i	पीबी का निर्माण (3 नए)	0.60
ii	सीएससी का पीबी के साथ सह-स्थान (3 नए)	0.15

	पचायत भवनों के लिए कुल सहायता	**0.75**
8	ई-सक्षमता	
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (60 कैरी ओवर)	0.30
ii	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (4 नए)	0.002
	ई-सक्षमीकरण गतिविधियों की कुल संख्या	**0.302**
9	सैटकॉम/आइपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1)	1.00
ii	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल और रखरखाव गतिविधि (1)	0.019
	दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं का योग	**1.019**
	1 से 9 तक का उप योग	**15.561**
10	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	0.31
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.23
	कुल योजना	**16.09**

अनुबंध-**V**

मध्य प्रदेश राज्य की वार्षिक कार्ययोजना **2024-25** का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि**
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (129075 प्रतिभागी)	39.35
ii	पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (11590 प्रतिभागी)	4.02
iii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (64294 प्रतिभागी)	20.27
iv	विषयगत प्रशिक्षण (20060 प्रतिभागी)	3.27
v	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (37698 प्रतिभागी)	12.15
vi	कोई अन्य प्रशिक्षण (35682 प्रतिभागी)	9.62
	कुल **(**सीबी एवं टी**)**	**88.68**
2.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	
i	जीपीडीपी (780 ग्राम पंचायत) के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता	1.56
ii	प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन	0.10
iii	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.04
iv	प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
v	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (5935 प्रतिभागी)	6.23
vi	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (5935 प्रतिभागी)	14.83
vii	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (20 पीएलसी)	1.40
viii	प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
ix	एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक। (2817 प्रतिभागी)	3.52
x	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम (500 प्रतिभागी)	2.50
xi	पीआरआई के लिए स्थानिक ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम (20 प्रतिभागी)	1.40
	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के तहत अन्य गतिविधियों का उप-योग	**31.88**
	कुल सीबी एवं टी **(1+2)**	**120.56**
3.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी किराये की इमारत (1 इकाई)	0.09
ii	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1 इकाई)	0.84
iii	डीपीआरसी किराये की इमारत (52 इकाई)	3.12
iv	डीपीआरसी आवर्ती लागत (52 इकाई)	10.40
v	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की किराये पर लेना	0.18

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
vi	बीपीआरसी किराये की इमारत (313 इकाई)	11.26
vii	बीपीआरसी आवर्ती लागत (313 इकाई)	13.14
viii	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की किराये पर लेना	0.91
	संस्थागत अवसंरचना का उप-योग (आवर्ती लागत)	**39.94**
4.	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (289)	2.02
	पंचायतों के ई-सक्षमीकरण का उप-योग	**2.02**
5.	पंचायत भवन के लिए सहायता	
i	पंचायत भवन निर्माण (पीईएसए/आदिवासी ग्राम पंचायतों के लिए 50 नए)	10.00
	उप-योग	**10.00**
6.	पेसा समर्थन	
i	राज्य समन्वयक (1)	0.072
ii	जिला समन्वयक (20)	0.72
iii	ब्लॉक समन्वयक (88)	2.64
iv	ग्राम सभा मोबिलाइजर/जीपी (5133)	49.28
v	ग्राम सभा अभिमुखीकरण (5133)	7.70
	पीईएसए क्षेत्रों का उप-योग	**60.41**
7.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.26
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (52 डीपीएमयू)	5.62
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (313 बीपीएमयू)	15.03
	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की कुल संख्या	**20.91**
8.	सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1)	1.00
	सैटकॉम के माध्यम से कुल दूरस्थ शिक्षा सुविधा	**1.00**
	उप-योग (1 से 8)	**254.84**
9.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	5.10
10.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक	3.82
	कुल योजना आकार	**263.76**

अनुबंध- VI

मणिपुर राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि**
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	
ii	प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन	0.10
iii	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
iv	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
v	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (880 प्रतिभागी)	0.616
vi	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (289 प्रतिभागी)	1.011
vii	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (4 पीएलसी)	0.28
viii	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
Ix	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (880 प्रतिभागी)	1.10
	सीबी एवं टी का उप-योग	**3.507**
2	संस्थागत अवसंरचना (निर्माण/किराए पर)	
i	डीपीआरसी का निर्माण और बुनियादी उपकरणों का प्रावधान। (10 कैरी ओवर)	18.60
ii	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना के लिए प्रावधान (18 बीपीआरसी)	0.648
2.1	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
iii	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1एसपीआरसी)	0.20
iv	डीपीआरसी आवर्ती लागत (6 डीपीआरसी)	0.74
	कुल लागत	**20.188**
3	पंचायत के बुनियादी ढांचे के लिए सहायता	
i	पंचायत भवन का निर्माण (11 कैरी फॉरवर्ड)	2.20
iii	पंचायत भवन के साथ सीएससी का सह-स्थान (15 कैरी फॉरवर्ड)	0.75
	पीबी निर्माण की कुल राशि	**2.95**
4	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.036
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (6 डीपीएमयू)	0.648
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (18 बीपीएमयू)	0.432
	पीएमयू की कुल राशि	**1.116**
5	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (81 पुराने कंप्यूटरों का प्रतिस्थापन) नई गतिविधियाँ	0.405
	कुल ई-सक्षमता	**0.405**
6	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1 इकाई)	1.00
ii	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एसआईटी) 1 एसपीआरसी और 4 डीपीआरसी	0.075
	दूरस्थ शिक्षा की कुल संख्या	**1.075**
	उप योग (क्र.सं 1 से 6)	**29.241**
7	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	0.585
8	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक	0.439
	कुल योजना आकार	**30.265**

अनुबंध -VII

उत्तराखंड राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
1	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (66166 प्रतिभागी)	28.46
ii	पुनश्चर्या प्रशिक्षण (4450 प्रतिभागी)	0.90
iii	पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षण (71167 प्रतिभागी)	15.69
iv	विषयगत प्रशिक्षण-(71167 प्रतिभागी)	23.46
v	विशेष प्रशिक्षण (4916 प्रतिभागी)	1.19
vi	कोई अन्य प्रशिक्षण (महिला एवं बाल सभा पर सीबीटी-12795 प्रतिभागी; नवनियुक्त क्षेत्रीय पदाधिकारियों का 30 दिवसीय सामान्य अभिमुखीकरण-232 प्रतिभागी)	6.84
	Total of CB&T	**76.54**
2	क्षमता निर्माण के अंतर्गत अन्य गतिविधियां	
i	जीपीडीपी के लिए सहायता (238)	0.48
ii	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
iii	प्रशिक्षण सामग्री विकास	0.20
iv	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (3 दिनों के लिए 5000)	5.25
v	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (5000 पर 5 दिनों के लिए 10,000)	25.00
vi	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (13)	0.91
ix	नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (100 प्रतिभागी)	0.50
	सीबीएंडटी के तहत अन्य गतिविधियों की कुल संख्या	**32.44**
3	संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ii	13 डीपीआरसी के लिए डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख/डीपीआरसी/वर्ष)	2.58
iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	0.12
iv	19 बीपीआरसी के लिए किराए के भवन में बीपीआरसी	0.68
v	48 बीपीआरसी के लिए बीपीआरसी आवर्ती लागत	2.02
vi	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	1.25
	संस्थागत अवसंरचना की कुल राशि (आवर्ती लागत)	**7.49**
4	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (13 डीपीएमयू के लिए)	1.40
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (95 बीपीएमयू के लिए)	4.56

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
	पीएमयू की कुल संख्या	**6.22**
5	पंचायत भवन के लिए सहायता	
i	नए 112 पीबी (100 पीबी + 12 पीबी) का निर्माण	22.40
ii	72 पीबी का निर्माण (2023-24 से आगे बढ़ाया जाएगा)	15.50
iii	पंचायत भवन के साथ नए सीएससी (100) का सह-स्थान	5.00
iv	सीएससी (56) का सह-स्थान (2023-24 से आगे बढ़ाया जाएगा)	3.65
	पंचायत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**46.55**
6	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	
	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (2745 जीपी)	13.72
	ई-सक्षमता की कुल संख्या	**13.72**
7	अभिनव गतिविधि (आगे ले जाना)	1.00
	अभिनव गतिविधि का योग	**1.00**
	उप योग (क्रमांक 1 से 7 तक)	**183.96**
8	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	3.68
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.76
	कुल योजना का प्रकार	**190.40**

अनुबंध क

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की 7वीं सीईसी बैठक

पंचायती राज मंत्रालय:

क्र.सं.		पद
1	श्री विवेक भारद्वाज	सचिव
2	डॉ. चन्द्रशेखर कुमार	अतिरिक्त सचिव
3	श्री विकासानंद	संयुक्त सचिव
4	सुश्री ममता वर्मा	संयुक्त सचिव
5	श्री राजेश कुमार सिंह	संयुक्त सचिव
6	डॉ. बिजय कुमार बेहरा	आर्थिक सलाहकार
8	श्री विपुलउज्ज्वल	निदेशक
9	श्री योगिंदर सिंह	उप सचिव

मंत्रालय के संबंधित सूची:

क्र.सं.	नाम	मंत्रालय/संगठन/राज्य
1	श्री वागीश तिवारी, निदेशक	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
2	श्री नवीनपटवर्धन सीएससी, एसपीवी	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
3	श्री अमित भारद्वाज उप. सलाहकार	नीति आयोग
4	श्री उमेशप्रताप सिंह, निदेशक	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
5	श्री नरेन्द्र कुमार	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
6	श्री सेवक पॉल, यू.एस	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य से प्रतिभागियों की सूची:

क्र.सं	नाम एवं पदनाम	मंत्रालय/ संगठन
1	श्री शशि भूषण कुमार, प्रधान सचिव	पीआर विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
2	श्री एम. सुधाकर राव, अतिरिक्त. आयुक्त	पीआर विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
3	श्री वी. आर. कृष्णा तेजा, मायलवारापु निदेशक	पीआर विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
4	श्री वाई. धोसी रेडी, संयुक्त निदेशक	APSIRDPR, आंध्र प्रदेश
5	श्री के.एस. वारा प्रसाद संयुक्त निदेशक	APSIRDPR, आंध्र प्रदेश
6	श्री विनोद कुमार एन (एसपीएम, आरजीएसए)	पीआर विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
7	श्री श्रीनाथनईम, राज्य परियोजना समन्वयक	आंध्र प्रदेश सरकार

क्र.सं	नाम एवं पदनाम	मंत्रालय/ संगठन
8	श्री मोहन राव, राज्य कार्यक्रम अधिकारी	आंध्र प्रदेश सरकार
9	श्री राघव शर्मा, निदेशक	आंध्र प्रदेश सरकार
10	श्री -नीरजचांदला, अतिरिक्त निदेशक	हिमाचल प्रदेश सरकार
11	श्री शम्भवरामौल, सलाहकार	हिमाचल प्रदेश सरकार
12	श्री डी. के. बेहरा, महानिदेशक	पीआर विभाग, हरियाणा सरकार
13	डॉ. वजीर सिंह, एचआरडी निदेशक	पीआर विभाग, हरियाणा सरकार
14	श्री वीनस नाथहा नोडल अधिकारी	पीआर विभाग, हरियाणा सरकार
15	सुश्री मीनू, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक	पीआर विभाग, हरियाणा सरकार
16	श्री मनोज पुष्प, निदेशक	पीआर विभाग, हरियाणा सरकार
17	डॉ.सुधीर जैन	पीआर विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
18	श्री पीटर सलाम, संयुक्त सचिव, पीआर	पीआर विभाग, उप निदेशक
19	श्री लैशरामनेपोलियन सिंह, अधीक्षक,	आरडी एंड पीआर निदेशालय मणिपुर
20	श्री रोबिनड्रोनिंगोमबम, एसपीएम	आरडी एंड पीआर निदेशालय, मणिपुर
21	श्री चंद्रेश कुमार यादव, सचिव	आरडी एंड पीआर निदेशालय, मणिपुर
22	सुश्री निधि यादव, निदेशक, पीआर	पीआर विभाग, उत्तराखंड
23	श्री आर.के.एन. त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक	पीआर विभाग, उत्तराखंड
24	श्री मनोज कुमार तिवारी, डीडी, पीआर	उत्तराखंड राज्य सरकार
25	श्री दिनेश कुमार गंगवार	उत्तराखंड राज्य सरकार

अनुबंध ख

पंचायत भवन का विवरण जैसा प्रति SAGY का रिकॉर्ड राज्य मंत्री

आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	ज़िला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गाँव	आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत	स्थानीय निकाय	ईजीएस के अनुसार पंचायत भवन
1	गुंटूर-506	ताडेपल्ले-4971	प्रथुरू-200779	गुंडीमेडा (जीपी - प्रथुरू)-589979	0	200779	नहीं
2	गुंटूर-506	ताडेपल्ले-4971	गुंडीमेडा-200779	गुंडीमेडा (जीपी - गुंडीमेडा)-589979	0	200779	नहीं
3	पालनाडु-751	मचवरम-4946	मल्लावोलु-200348	मल्लावोलु-589888	0	200348	नहीं
4	एनटीआर-749	पेनुगांचिप्रोलु-5138	सनागापाडु-203697	सनागापडु-588870	हाँ	203697	नहीं
5	एनटीआर-749	पेनुगांचिप्रोलु-5138	मुचिंतला-203693	मुचिन्ताला @ बोडापडु-588860	हाँ	203693	नहीं
6	प्रकाशम-517	मड्डीपाडु-5481	येदुगुंडलापाडु-234755	एदुगुंडलापाडु- 591068	0	234755	नहीं
7	तिरुपति-752	गुडूर-5386	कोम्मानेटुर-208535	कोम्मानेतुरू-592219	0	208535	नहीं
8	श्रीकाकुलम-519	रणस्तलम-5568	तेप्पलावलासा-211349	तेप्पलावलासा-581670	0	211349	नहीं
9	प्रकाशम-517	मड्डीपाडु-5481	कीर्तिपाडु- 234745	कीर्ति पादु-591054	0	234745	नहीं
10	एनटीआर-749	पेनुगांचिप्रोलु-5138	थोटाचेरला-203700	थोटाचेरला-588869	हाँ	203700	नहीं
11	बापटला-750	मार्टुर-5484	लक्कवरम-245709	लक्कवरमअग्राहारम (जीपी - लक्कावरम)-590701	0	245709	नहीं
12	बापटला-750	चीनगंजम-5460	चिंतागुमपल्ली-234636	चिंतागुम पल्ले-591026	0	234636	नहीं
१३	एनटीआर-749	पेनुगांचिप्रोलु-5138	सुब्बायागुडेम-203699	सुब्बायागुडेम-588865	हाँ	203699	नहीं
14	प्रकाशम-517	वेलिगंडला-5504	पांडुवा-235741	पांडुवा-591229	0	235741	नहीं
15	एनटीआर-749	पेनुगांचिप्रोलु-5138	वेंकटपुरम- 203702	वेंकटपुरम-588863	हाँ	203702	नहीं
16	कुरनूल-511	होलागुंडा -5168	मालोमाडिकि-204198	मार्लामाडिकी-594120	हाँ	204198	नहीं

क्र.सं.	ज़िला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गाँव	आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत	स्थानीय निकाय	ईजीएस के अनुसार पंचायत भवन
17	प्रकाशम-517	पोडिली-5492	अन्नावरम-235623	चिंतागुम पल्ले-590982	0	235623	नहीं
18	एनटीआर-749	इब्राहिमपटनम - 5114	चिलुकुरू-203194	चिलुकुरू-589196	हाँ	203194	नहीं

हरियाणा

क्र.सं.	ज़िला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गाँव	आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत	स्थानीय निकाय	ईजीएस के अनुसार पंचायत भवन
1	रेवाड़ी-72	नाहर-539	झोलरी-32257	झोलरी (26-एन)-62343	हाँ	32257	नहीं
2	फरीदाबाद-60	फरीदाबाद-464	टिकावली-28745	टिकावली(141) - 63456	0	28745	नहीं
3	पलवल-619	हथीन-466	बिघावली-28789	अकबरपुरनटोल(214)-63756	हाँ	28789	नहीं
4	रेवाड़ी-72	बवाल-536	हरचदपुर-32056	हरचदपुर (14)-62696	0	32056	नहीं
5	भिवानी-59	लोहारू - 460	गागरवास-28533	गागरवास(58)-61383	हाँ	28533	नहीं
6	रेवाड़ी-72	बवाल-536	किशनपुर-32075	किशनपुर (63)-62742	0	32075	नहीं
7	रेवाड़ी-72	नाहर-539	शादीपुर-32277	शादीपुर (178)-62383	हाँ	32277	नहीं
8	रेवाड़ी-72	नाहर-539	मुंद्रा-32269	मुंद्रा (184)-62380	हाँ	32269	नहीं
9	भिवानी-59	लोहारू-460	मोहम्मद नगर-28544	मोहम्मद नगर(26)-61350	हाँ	28544	नहीं

हिमाचल प्रदेश

क्र.सं.	ज़िला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गाँव	आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत	स्थानीय निकाय	ईजीएस के अनुसार पंचायत भवन
1	कुल्लू-20	निर्मण्ड-172	बारीधार-298521	सोहाच (18/54)-12970	हाँ	298521	नहीं

क्र.सं.	ज़िला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गाँव	आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत	स्थानीय निकाय	ईजीएस के अनुसार पंचायत भवन
2	चंबा-16	टीआईएसए-144	भरारा-7907	भरारा (454)-6966	हाँ	7907	नहीं
3	यूएनए-26	यूएनए-209	बसोली-10485	बसोलीउप्परली (457)-18777	0	10485	नहीं
4	शिमला-23	चौहारा-186	धगोली (कथली) (बीपी)-9599	चिरोति (46)-26561	हाँ	9599	नहीं
5	शिमला-23	चौहारा-186	खावाल (बीपी)-9611	डेनवारी (65)-26644	हाँ	9611	नहीं

मध्य प्रदेश

क्र.सं.	ज़िला	अवरोध पैदा करना	ग्राम पंचायत	गाँव	अवरोध पैदा करना	स्थानीय शरीर कोड	पंचायत भवन जैसा प्रति ईजीएस
1	मोरेना-417	अम्बाह-3914	बदफरा-143573	बदफरा-451959	0	143573	नहीं
2	भिंड-395	गोहाद-3773	शेरपुर-134032	शेरपुर-453285	हाँ	134032	नहीं
3	निवाड़ी-722	पृथ्वीपुर-4031	मड़िया-152953	मडिया खास-456627	हाँ	152953	नहीं
4	मोरेना-417	कैलारस-3916	अंतरी-143698	अंतरी-452587	0	143698	नहीं
5	टीकमगढ़- 434	बलदेवगढ़-4027	भविष्य चक्र 1-152634	फ़टर चक-1-457149	हाँ	152634	नहीं
6	श्योपुर-431	विजयपुर-4010	पंचो-151257	पंचो-451525	हाँ	151257	नहीं
7	भिंड-395	गोहाद-3773	छरेन्टा (करवास)-133976	छरेन्टा(करवास)-453391	हाँ	133976	नहीं
8	भिंड-395	गोहाद-3773	कठवा हाजी-134004	कथावाहाजी-453309	हाँ	134004	नहीं
9	रीवा-424	जावा-3956	कल्याणपुर-55-146920	कल्याणपुर(55)-465203	हाँ	146920	नहीं

क्र.सं.	ज़िला	अवरोध पैदा करना	ग्राम पंचायत	गाँव	अवरोध पैदा करना	स्थानीय शरीर कोड	पंचायत भवन जैसा प्रति ईजीएस
10	भिंड-395	गोहाद-3773	बार्थेरा-133968	बार्थरा -453311	हाँ	133968	नहीं
11	शिवपुरी-432	कोलारस-4014	पनवाड़ी-151560	पनवाड़ी-455793	हाँ	151560	नहीं
12	शिवपुरी-432	कोलारस-4014	रिजोदा-151565	रिजोदा-455809	हाँ	151565	नहीं
१३	श्योपुर-431	विजयपुर-4010	गोहर-151228	गोहर-451523	हाँ	151228	नहीं
14	टीकमगढ़-434	बलदेवगढ़-4027	धरमपुरा-152628	धरमपुरा-457176	हाँ	152628	नहीं
15	सतना-426	मझगवा- 3976	तिघारा-148551	तिघारा-463377	हाँ	148551	नहीं
16	सतना-426	मझगवा-3976	कंडार-148501	कंडार-463149	हाँ	148501	नहीं
17	दमोह-400	तेंदुखेड़ा-3806	सांगा-136420	सांगा-462740	हाँ	136420	नहीं
18	श्योपुर-431	श्योपुर-4009	अलापुरा-151104	अलापुरा-451763	हाँ	151104	नहीं
19	निवाड़ी-722	पृथ्वीपुर-4031	मनिया-152961	मनियान-456681	हाँ	152961	नहीं
20	सतना-426	सोहावल-3980	बिरहुली-148820	बिरहुली-463127	0	148820	नहीं
21	निवाड़ी-722	पृथ्वीपुर-4031	दुमदुमा-152937	दुमदुमा-456656	हाँ	152937	नहीं
22	मोरेना-417	पहाड़गढ़-3918	हुसैनपुर-143897	हुसैनपुर-452280	हाँ	143897	नहीं
23	शिवपुरी-432	कोलारस-4014	खुल्हाडी-151543	खुल्हाड़ी-455819	हाँ	151543	नहीं
24	पूर्व निमाड़-405	छैगांव माखन-3837	मोकलगांव-138388	मोकलगांव-506096	हाँ	138388	नहीं
25	मोरेना-417	कैलारस-3916	राजपुरा-143748	राजपुरा जागीर-452538	0	143748	नहीं

क्र.सं.	ज़िला	अवरोध पैदा करना	ग्राम पंचायत	गाँव	अवरोध पैदा करना	स्थानीय शरीर कोड	पंचायत भवन जैसा प्रति ईजीएस
26	भिंड-395	गोहाद-3773	इटैलि (एमओयू)-133997	इटालियामऊ-453412	हाँ	133997	नहीं
27	मंदसौर-416	सीतामऊ-3913	टोकडा-143569	टोंकडा-469940	0	143569	नहीं
28	सतना-426	मझगवां-3976	विटामा-148553	बिटमा-463444	हाँ	148553	नहीं
29	निवाड़ी-722	पृथ्वीपुर-4031	कुंवरपुरा-152949	कुंवरपुरा-456557	हाँ	152949	नहीं
30	विदिशा-437	बसोदा-4042	हरगनाखेड़ी-153945	हरगना खेड़ी-481156	हाँ	153945	नहीं
३१	रीवा-424	जावा-3956	बराह-146877	बराह-465417	हाँ	146877	नहीं
32	मोरेना-417	पहाड़गढ़-3918	कोटाटा -143913	मिलौआ-452284	हाँ	143913	नहीं
33	पन्ना-420	अजयगढ़-3930	बाराकागरेका-144751	बारा कागेका-458582	हाँ	144751	नहीं
34	भिंड-395	गोहाद-3773	खितौली-134010	साद(खेरिया)-453341	हाँ	134010	नहीं
35	निवाड़ी-722	पृथ्वीपुर-4031	बिरोराखास-152927	बिरोरा पहाड़ उत्तर-456649	हाँ	152927	नहीं
36	रीवा-424	हनुमान-3955	राम नगरी-146860	गदरा-466090	हाँ	146860	नहीं
37	राजगढ़-422	जीरापुर-3947	तपरियाहेड़ी-146264	टपरिया खेड़ी-478830	हाँ	146264	नहीं
38	गुना-406	बामोरी-3844	खेजराबाबा-138848	खेजड़ा बाबा-499134	हाँ	138848	नहीं
39	शिवपुरी-432	कोलारस-4014	पनवाड़ी-151560	उकावल-455794	हाँ	151560	नहीं
40	शहडोल-429	गोहपारू-3997	देवगढ़-150290	देवगढ़-501552	हाँ	150290	नहीं
41	विदिशा-437	बसोदा-4042	खामखेड़ा-153953	खाम खेड़ा-481379	हाँ	153953	नहीं

क्र.सं.	ज़िला	अवरोध पैदा करना	ग्राम पंचायत	गाँव	अवरोध पैदा करना	स्थानीय शरीर कोड	पंचायत भवन जैसा प्रति ईजीएस
42	श्योपुर-431	श्योपुर-4009	दादूनी-151122	दादूनी-451604	हाँ	151122	नहीं
43	शिवपुरी-432	कोलारस-4014	कम्हरौआ-151548	अमरपुर-455763	हाँ	151548	नहीं
44	मंदसौर-416	मल्हारगढ़-3911	बेलारा-143279	बेलाला-469220	0	143279	नहीं
45	श्योपुर-431	श्योपुर-4009	मथेपुरा-151161	मीठेपुरा-451681	हाँ	151161	नहीं
46	छतरपुर- 398	लौंडी-3786	पटना-134987	पटना-457594	0	134987	नहीं
47	सतना-426	मझगवां- 3976	गलवाल-148484	परसड़िया-463504	हाँ	148484	नहीं
48	अनूपपुर-390	पुष्पराजगढ़-3739	बरबसपुर-131706	बरबसपुर-502261	हाँ	131706	नहीं
49	श्योपुर-431	श्योपुर-4009	काशीपुर-151147	काशीपुर-451567	हाँ	151147	नहीं
50	भिंड-395	गोहाद-3773	लहचूरा-134013	महो-453304	हाँ	134013	नहीं
51	रीवा-424	हनुमान-3955	बढैया- 146778	बढैया-466140	हाँ	146778	नहीं
52	सतना-426	मझगवां- 3976	तेलानी-148550	तेलानी-463351	हाँ	148550	नहीं
53	मंदसौर-416	मल्हारगढ़-3911	बादपुर-143271	बदपुर-469239	0	143271	नहीं
54	रीवा-424	हनुमान-3955	शाहपुर-146865	शाहपुर-466204	हाँ	146865	नहीं
55	श्योपुर-431	श्योपुर-4009	तिल्लिपुर-151193	तिल्लिपुर-451650	हाँ	151193	नहीं
56	मंदसौर-416	सीतामऊ-3913	जमुनिया-143507	जमुनिया-469937	0	143507	नहीं
57	पूर्वी निमाड़-405	छैगांव माखन-3837	सोनुद-138402	हैदरपुर-505842	हाँ	138402	नहीं

क्र.सं.	ज़िला	अवरोध पैदा करना	ग्राम पंचायत	गाँव	अवरोध पैदा करना	स्थानीय शरीर कोड	पंचायत भवन जैसा प्रति ईजीएस
58	उज्जैन-435	उज्जैन -4038	दुदार्सी-153623	हरन्याखेड़ी-471926	0	153623	नहीं

<u>उत्तराखंड</u>

क्र.सं.	ज़िला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गाँव	आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत	स्थानीय निकाय	ईजीएस के अनुसार पंचायत भवन
1	हरिद्वार-50	बहादुराबाद -385	सोहलपुर सिक्रोधी-23345	सोहलपुर सिकरोढ़ा-56652	हाँ	23345	नहीं
2	हरिद्वार-50	बहादुराबाद -385	मोहम्मद. बेगपुर यूआरएफ	मोहम्मदबेगपुरउर्फ टकाभाडी - 56650	हाँ	23321	नहीं
			टकाबाड़ी-23321				
3	नैनीताल-51	रामनगर-398	गोपाल नगर-24001	गोपाल नगर-55308	0	24001	नहीं
4	हरिद्वार-50	बहादुराबाद -385	नूरपुर पंजौंहेड़ी-23324	मिस्सरपुर मुस्तकम-56709	हाँ	23324	नहीं
5	उत्तरकाशी- 57	मोरी -444	जखोल-27600	जखोल-40237	हाँ	27600	नहीं
6	हरिद्वार-50	बहादुराबाद -385	पीतपुर-23326	मोहम्मदपुरउर्फ झिवरहेड़ी-56700	हाँ	23326	नहीं
7	नैनीताल-51	धारी -393	सलिया कोट तल्ला-23739	क्षलियाकोटे तल्ला- 54935	0	23739	नहीं
8	हरिद्वार-50	बहादुराबाद -385	बोदाहेड़ी-23297	रायपुर दरेडा-56688	हाँ	23297	नहीं
9	हरिद्वार-50	बहादुराबाद -385	टीकमपुर-275678	टिक्कमपुर-56742	हाँ	275678	नहीं
10	नैनीताल-51	बेतालघाट - 391	घोरिया एचएएलएस ओ-23606	घोरिया हेल्सन-54640	0	23606	नहीं
11	उत्तरकाशी- 57	मोरी-444	सट्टा-27630	सट्टा-40223	हाँ	27630	नहीं

क्र.सं.	ज़िला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गाँव	आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत	स्थानीय निकाय	ईजीएस के अनुसार पंचायत भवन
12	टिहरी गढ़वाल-55	भिलंगना-425	चंजिताल्ली-26183	चाजी टल्ली-43032	0	26183	नहीं